नागरकिता

//

नागरिकता

नागरिकता किसी व्यक्ति को राज्य के सदस्य के रूप में विधिक मान्यता प्रदान करना है, जिसके लिये प्रदत्त अधिकार एवं विशेषाधिकार और निष्ठा की आवश्यकता होती है। भारत में, नागरिकता संबंधी विधान परिभाषित करता है कि कौन इन अधिकारों का धारक है।

नागरिकता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता संबंधी प्रावधानों से संबंधित हैं, जिनमें विशेष रूप से यह उल्लेख किया गया है कि संविधान के लागू होने (26 जनवरी, 1950) पर कौन नागरिक बने।

- **अनुच्छेद 5**: संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता
- **अनुच्छेद 6**: पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार
- **अनुच्छेद 7**: पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार
- **अनुच्छेद 8**: भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार
- **अनुच्छेद 9**: विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना
- **अनुच्छेद 10**: नागरिकता के अधिकारों का बना रहना
- **अनुच्छेद 11**: संसद् द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना

केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध अधिकार

- **अनुच्छेद 15**: धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध
- **अनुच्छेद 16**: लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता
- **अनुच्छेद 19**: वाक्-स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण
- **अनुच्छेद 29**: अल्पसंख्यक- वर्गों के हितों का संरक्षण
- **अनुच्छेद 30**: शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक- वर्गों का अधिकार
- **मतदान का अधिकार**: केवल नागरिक ही चुनाव में मतदान कर सकते हैं

नागरिकता अधिनियम, 1955

- **अर्जन और समाप्ति:** यह अधिनियम रेखांकित करता है:
  - भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के आधार:
    - जन्म
    - वंश
    - पंजीकरण
    - देशीकरण
    - क्षेत्र समाविष्टि
  - वे परिस्थितियाँ जिनके तहत नागरिकता समाप्त हो सकती है:
    - स्वैच्छिक त्याग
    - बर्खास्तगी के द्वारा
    - वंचित करने द्वारा
- **6 बार संशोधित (1986 से):** 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019

नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019:

- पात्रता: पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश करने वाले छह समुदायों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) को नागरिकता प्रदान की जाती है।
- कानूनी दंड से छूट: यह अधिनियम इन समुदायों को भारत में अवैध प्रवेश या निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रहने के लिये विदेशी अधिनियम, 1946 और पासपोर्ट अधिनियम, 1920 के तहत अभियोजन से छूट देता है, जिससे उन्हें कानूनी परिणामों का सामना किये बिना नागरिकता प्राप्त करने का मार्ग प्रदान होता है।

दृष्टि The Vision

और पढ़ें: [भारत की नागरकिता](#)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/citizenship-33